Trade Calls for Postponement of GST on Unbranded Food Packs

कैट ने आज केंद्रित वित्त मंत्री को पत्र भेज कर बिना ब्रांड के खाद्यान्नों पर जीएसटी लागू करने के निर्णय को स्थगित करने की माँग की

Confederation of All India Traders
(An Apex Body of Trade Federations, Associations & Non-Corporate Sector of India)
Estd.: 1990

"Vyapar Bhawan"
925/1, Naiwala, Karol Bagh, New Delhi-110005.
Phone: +91-11-45032664, Telefax: +91-11-45032665
E-mail: teamcait@gmail.com Website: www.cait.in

संदर्भ सं:- 3453/1/50

19 जुलाई, 2022

श्रीमती निर्मला सीतारमण
माननीय वित्त मंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली

प्रिय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी,

विषय :- दिनाक : 18/07/2022 से खाद्यान पर लागू जीएसटी के सन्दर्भ में

दिनांक 18/07/2022 से देश मे सभी प्रीपैक्ड व प्री लेबल खाद्यान एवं अन्य वस्तुओं पर जो 25 किलो /25लीटर या उससे कम की प्री पैकिंग में चाहे वे नॉन ब्रांडेड ही क्यो न हो सभी पर 5% जीएसटी कर लागू हो गया है और देश भर के व्यापारी उसकी पालना के संबंध में कुछ वास्तविल कठिनाइयों से जूझ रहे हैं !

वर्तमान में पूरे देश के सभी निर्माताओं ,दुकानदारों , प्रोसेसर्स, वेंडर्स के पास करीब ₹ 6 हजार करोड़ का पैकिंग मैटेरियल पड़ा हुआ है क्योंकि आम तौर पर सामान्य व्यापार प्रक्रिया में लगभग 3 से 6 माह की खपत के अनुसार स्टॉक रखा जाता है।इसमें थोक व्यापार व एक्सपोर्ट बैग्स के रूप में तथा एचडीपीई एवं जूट बैग्स का स्टॉक राइस मिलर्स , प्रोसेसर्स ,व पैकिंग मटेरियल बनाने वाले उधोगो व छोटे छोटे स्वसहायता महिला ग्रुप के पास स्टॉक/निर्माण प्रोसेस में स्टॉक के रूप में भी उपलब्ध है ।

क्योंकिअब जीएसटी के दायरे में आने के बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैण्डर्ड एक्ट एवं लीगल मैट्रोलोजी एक्ट के अनुसार पैकिंग में भी नए सिरे से पैकिंग मैटीरियल बनवाना होगा, इससे जो माल बहुत बड़ी मात्रा में स्टॉक अथवा प्रोसेस लाइन में पड़ा है , वो अनुपयुक्त होने के कारण इस्तेमाल में नहीं आ सकेगा एवं नै पैकिंग बनाने में कुछ समय भी लगेगा, इस बात को दृष्टि में रखते हुए हमारा आपसे आग्रह है की फिलहाल इस जीएसटी नियम के प्रावधान को लागू करने के लिए तीन महीने के लिए स्थगित किया जाए जिससे देश में पड़े हुए पैकिंग मटेरियल की बर्बादी भी न हो और तुरंत भारी मांग होने से नए पैकिंग मैटेरियल की किल्लत भी न हो ! इसी तरह से बड़ी मात्रा में नॉन टैक्सेबल स्टॉक भी देश भर में पड़ा हुआ है , उसको भी आगामी तीन महीने में सुविधा के साथ बेचा जा सके क्योंकि अभी तक जो लोग बिना ब्रांड वाले उत्पादों का प्रयोग करते थे, उन्हें तुरंत जीएसटी में पंजीकरण कराना होगा, जिस प्रक्रिया में थोड़ा समय भी लगता है ! इस दृष्टि से उन्हें कुछ समय मिलना चाहिए !

इस सन्दर्भ में यह भी कहना उचित होगा की साथ ही पूरे देश मे पैकिंग मटेरियल निर्माताओं को भी बाजार की मांग के अनुरूप अपने संसथान में काफी बदलाव करने पड़ेंगे जिसमें बड़ी मात्रा में कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी करना होगा ! इसके साथ ही देश भर में छोटे छोटे स्वयं उद्यमी महिला ग्रुप जो जूट बैग के निर्माण में लगे है उन्हें भी अपने वर्तमान सेटअप को अपग्रेड करना होगा, जिसमें समय लग्न स्वाभाविक है !

इस तथ्य के आलोक में आपसे विनम्र आग्रह है की बिना ब्रांड वाले खाद्यानों एवं अन्य उत्पादों जिन पर 18 जुलाई से जीएसटी कर लग गया है को व्यापार व्यवस्थित करने तथा कानून एवं नियम की सही रूप से पालना करने के लिए कम से कम तीन महीने का समय दिया जाए और इस नियम को आगामी तीन महीने तक लागू होने से स्थगित रखा जाए !

हमें आशा ही नहीं वरन विश्वास भी है की आप इस ओर अवश्य ध्यान देंगीं और आवश्यक कदम अविलम्ब उठाएंगी !

धन्यवाद ! आदर सहित

आपका

प्रवीन खंडेलवाल
राष्ट्रीय महामंत्री
कन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स

e-Commerce Portal
Fayde ka Sauda